डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

संत रविदास नगर भदोही।

सम्बद्ध – महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका (2021 – 2022)

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय–

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भदोही, उत्तर प्रदेश शासन के सृजनात्मक उपक्रम का सकारात्मक प्रतिफल है। उच्च शिक्षा के जिस मानक एवं आदर्श केंद्र के रूप में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी, यह महाविद्यालय उसी गौरवशाली परंपरा का एक पड़ाव है। यह महाविद्यालय, काशी और प्रयाग के मध्य पावन गंगा के सानिध्य में अवस्थित सीता की तपोभूमि सीतामढ़ी एवं शिवस्थली सेमराध और विद्या वैभव से विभूषित ज्ञानपुर जैसे तीर्थ स्थलों के समीप, अपने कालीन उद्योग और कला के लिए विश्वविख्यात कालीन नगरी भदोही में, जनपद भदोही के मुख्यालय ज्ञानपुर से 13 किलोमीटर तथा भदोही रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर बाईपास मार्ग पर ग्राम रामरायपुर में स्थित है। इस राजकीय महाविद्यालय की स्थापना महामहिम श्री राज्यपाल कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की दिनांक 7 अक्टूबर 1999 कि राजाज्ञा संख्या 2373 के अधीन की गई। कुलाधिपति महोदय द्वारा राजकीय महाविद्यालय भदोही को कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अस्थाई संबद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही शासन के पत्रांक संख्या 2626 दिनांक 21/01/2000 के अधीन प्राचार्य, कला संकाय व विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रवक्ता पदों, पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन किया गया।

उत्तरोत्तर विकास करते हुए वर्तमान समय में यह महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध व स्थायी मान्यता प्राप्त है । विज्ञान संकाय में 10 तथा कला संकाय में समाजशास्त्र के पी.जी. होने के कारण 09 प्रवक्ता पद सृजित होगे। वर्ष 2018 से कला वर्ग में शारीरिक शिक्षा विषय की मान्यता प्राप्त कर कुल 07 विषय संचालित हैं। तथा सत्र २०२१ से समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षाए संचालित होंगी। महाविद्यालय अपने निजी भवन जिनमें प्रशासनिक भवन, कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन (प्रयोगशालाओं सहित), कम्प्यूटर लैब, स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु रूसा अनुदानित भवन एवं कम्प्यूटर सेंटर, पुस्तकालय, खेलकूद मैदान आदि से समृद्ध है।

स्थायी मान्यता तथा उत्कृष्ट स्वकेन्द्रीय विश्वविद्यालयी वार्षिक परीक्षा परिणाम के साथ यह महाविद्यालय यूजीसी के 2–एफ व 12–बी की श्रेणी में सूचीबद्ध है। यह महाविद्यालय आंतरिक गुणवत्ता की दृष्टि से यूजीसी नैक के सभी मानदंडों को पूर्ण करने में सक्षम है, उ. प्र. शासन द्वारा प्रायोजित कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है जिसके आधार पर उ.प्र. शासन, यूजीसी तथा रूसा द्वारा समय–समय पर `अनेक अनुदान

प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय ने उ.प्र. शासन द्वारा प्रायोजित कई राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है। महाविद्यालय में इण्टरनेट, वाई–फाई, वेबसाइट– www.spmgdcbhadohi.org.in, ई–पुस्तकालय एवं स्वचालित पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। पूरा महाविद्यालय परिसर कक्षाओं सहित सी.सी.टी.वी. कैमरे से युक्त है। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त स्मार्ट कक्षाएं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित किये गये हैं। रोवर्स/रेंजर्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयां भी संचालित हैं। महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न ई–माध्यमों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। सम्प्रति महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सात दिवसीय ई–कार्यशाला तथा तीन दिवसीय ई लर्निंग एवं टीचिंग संबंधी ई –कार्यशाला का भी सफल आयोजन किया गया है। यह महाविद्यालय छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत, कृत संकल्प और अग्रसर है।

प्रवेश आवेदन सूचना

प्रवेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर भरने की तिथि 07 अक्टूबर 2021 से 18 अक्टूबर 2021
- मेरिट लिस्ट का वेबसाइट पर प्रकाशन 19 अक्टूबर 2021
- काउन्सलिंग की तिथि 20 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश :–

- सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरे जायेंगे ।
- ऑनलाइन आवेदन से पूर्व प्रवेश विवरणिका का भलीभांति अध्ययन कर लें ।
- आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.spmgdcbhadohi.org.in पर 100/– पंजीकरण शुल्क जमा कर भरना होगा ।

- पंजीकरण संख्या मिल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एक पंजीकरण संख्या से केवल एक फॉर्म भरा जा सकता है । किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर दुबारा पंजीकरण कराना होगा ।

- प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने के लिए सभी सम्बन्धित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ई–मेल आई.डी, फोटो एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी ।

- सभी संलग्नको जैसे हाई स्कूल,इन्टर मीडिएट एवं स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि की स्कैन्ड कॉपी अवश्य संलग्न करें ।

- प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अतः वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।

- अर्ह अभ्यर्थियों को कांउसलिंग के लिए बुलाया जायेगा जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी ।

- कांउसलिंग हेतु बुलाये गए अर्ह(योग्य) अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तथा समस्त संलग्नको की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा ।

- प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा होगा।

- शुल्क जमा की आनलाईन प्राप्ति रसीद महाविद्यालय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी ।

- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नको की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य जमा करें।

    - हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
    - इन्टर मीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
    - स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंक पत्र
    - जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी दावें का प्रमाण पत्र
    - दिव्यांग प्रमाण पत्र
    - अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्र (स्काउट गाइड, रोवर्स/रेंजर्सए एन0एस0एस (राष्ट्रीय सेवा योजना) खेल कूद, उच्च शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी के पाल्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित)

- आधार कार्ड
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र

भारांको की श्रेणी व अंक–

(अ) एन0सी0सी0

- 'बी' सर्टिफिकेट 05 अंक
- 'सी' सर्टिफिकेट 10 अंक
- आर. डी. परेड 15 अंक

(ब) एन0एस0एस (राष्ट्रीय सेवा योजना)

- दो वर्ष की सदस्यता, एक विशेष 7 दिवसीय शिविर 10 अंक

(स) रोवर्स/रेंजर्स (स्काउड/गाईड)

- प्रवीण प्रमाण पत्र 03 अंक
- निपुण प्रमाण–पत्र 05 अंक
- राज्यपाल पुरस्कार 07 अंक
- राष्ट्रपति पुरस्कार 10 अंक

(द) 1. राष्ट्रीय स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

- प्रथम स्थान आने पर –15 अंक
- द्वितीय स्थान आने पर –10 अंक
- तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

2. राज्य स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

- प्रथम स्थान आने पर –10 अंक
- द्वितीय स्थान आने पर –07 अंक
- तृतीय स्थान आने पर –05 अंक

3. विश्वविद्यालय स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को

- प्रथम स्थान आने पर –07 अंक
- द्वितीय स्थान आने पर –05 अंक

- तृतीय स्थान आने पर –03 अंक

नोट–

1. अ ब स द मे से किसी भी दशा में 15 अंक से अधिक का भारांक देय नही होगा।
2. एक ही श्रेणी में दो भारांक देय नहीं होगा।
3. काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में भारांक सम्बन्धी दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम–

- स्नातकोत्तर समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर स्तर पर प्रवेश आनलाईन द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु आवेदन महाविद्यालय की वेवसाईट www.spmgdcbhadohi.org.in पर प्रदत्त लिंक द्वारा किया जा सकेगा।

- आवेदन प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की समय–सारणी महाविद्यालय सूचना पट्ट, महाविद्यालय की बेवसाइट तथा सामाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतया इस सत्र मे 5 अक्टूबर 2021 से आरम्भ होगी।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की उपलब्धता महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की नियमावली तथा समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर तय की जायेगी।
- शासन द्वारा विभिन्न आरक्षित वर्गो यथा, अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अन्य के लिये किये गये प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

- बी0ए0 परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत होगा।

- स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष मे समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे।

- स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कोई भी अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

- किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दो वर्ष से अधिक शैक्षिक अंतराल वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। 2019 के पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे

- स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अनिवार्यतः मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

- मेरिट लिस्ट, अर्हता प्रदायिनी परीक्षा एवं समाजशास्त्र विषय में प्राप्त ''प्रतिशत'' एवं ''अधिभार'' अंकों के योग के आधार पर तैयार की गयी 'इण्डेक्स' के आधार पर तैयार की जायेगी।

- इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 10 अंक अधिभार दिये जायेगे।

- किसी पाठ्यक्रम में दो वर्ष से अधिक शैक्षणिक अन्तराल वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थियों की इण्डेक्स की गणना करते समय अर्हता प्रदायिनी परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत से 05 अंक की कटौती की जायेगी जबकि दो वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थियों की इण्डेक्स की गणना करते समय अर्हता प्रदायिनी परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत से 10 अंक की कटौती की जायेगी। शैक्षणिक अन्तराल वाले अभ्यर्थियों को नोटरी शपथ–पत्र काउन्सलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

- किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इस महाविद्यालय/अन्य राजकीय महाविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगे भाई/सगी बहन को 10 अंक का अधिभार प्रदान किया जाएगा।

- दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

- समय–समय पर घोषित की जाने वाली वरीयता सूचियों संबंधी सूचना, सूचना पट्ट, वेबसाईट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा मेरिट में स्थान पाये अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा।

- मेरिट लिस्ट में साक्षात्कार (काउन्सिलिंग) हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दो रंगीन पासपोर्ट साइट फोटोग्राफ, समस्त मूल साक्ष्यों यथा समस्त अंक पत्रों प्रमाण पत्रों, चरित्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों तथा आरक्षण श्रेणी/अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं उनकी छाया प्रतियों के साथ निर्धारित समयावधि में ही प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत न होने पर पुनः प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करना होगा।

- व्यक्तिगत रुप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिये किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो विगत छः माह की अवधि के अन्दर जारी किया गया हो) को साक्षात्कार के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को उस विद्यालय/महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा, जहॉ उसने अंतिम बार संस्थागत रुप से अध्ययन किया हो।

- अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय नामांकन के समय अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) मूल रुप में जमा करना होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

- अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

- ऐसे अभ्यर्थियों को जो किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/अनुचित साधन प्रयोग के लिये दण्डित किये गये हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- जिस अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो/दण्डित किया गया हो, को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा पता चलने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- प्राचार्य को किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- उ0प्र0 स्टेट यूनी0 एक्ट 1973 के अनु0 8बी0 धारा 45, उपधारा (4) के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।

कला संकाय (एम.ए.)

1–समाजशास्त्र,

प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटें

(एम.ए.)–समाजशास्त्र – 60 सीटें

छात्रों के लिए विशेष निर्देश :

1. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में ही परिसर में प्रवेश करें तथा नाक और मुँह को मास्क से ढकें। छात्र/छात्रा को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना आनिवार्य है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन अपना परिचय पत्र साथ लायेगा तथा शास्ता मंडल द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।
3. विद्यार्थी अपने साइकिल को स्टैंड में खड़ा करें । मोटर साइकिल या स्कूटर से आने वाले छात्र/छात्रा ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाये तथा हेलमेट का प्रयोग करें ।
4. सह पाठियों से अशिष्ट व्यवहार एवं अनुचित व्यवहार तथा रैगिंग में लिप्त पायें जाने वाले आरोपित विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा विधिक कार्यवाही की जाएगी ।

5. महविद्यालय में व्यर्थ घूमना, बाहरी व्यक्ति को लाना, प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई आयोजन करना प्रतिबंधित है तथा सहपाठियों से दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

6. महाविद्यालय की शांति भंग करना, धुम्रपान करना, नशीलें प्रदार्थों का सेवन, पान मसाला खाना, शोर मचाना, अस्त्र–शास्त्र लाना, आदि पूर्णतया वर्जित है ।

7. महाविद्यालय परिसर में गन्दगी फैलाना, भवन एवं दीवारों को गन्दा करना, महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना दण्डनीय अपराध माना जाएगी ।

8. महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के साथ दुव्यवर्हार को दंडनीय अपराध माना जायेगा जिसमे निष्कासन भी सम्मिलित है ।

9. कोई भी छात्र/छात्रा प्रवेश लेने मात्र से परीक्षा देने का अधिकारी नहीं हो जायेगा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार (संभवतः नवम्बर अन्तिम सप्ताह) परीक्षा आवेदन पत्र पूरित कर महाविद्यालय में जमा करने के उपरान्त ही छात्र परीक्षा दे सकेगा।

10. यदि प्रत्येक कक्षा में छात्र की उपस्थिति 75% से कम रहती है तो वह परीक्षा देने से वंचित रह जायेगा।

11. महाविद्यालय में नकल विहीन परीक्षा होती है।

12. महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येत्तर कार्यक्रमों जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयंती, वार्षिकोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में उपस्थिति आनिवार्य है ।

शुल्क विवरण

एम०ए० प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर)

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	– 3656
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	– 3476

एम०ए० द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर)

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	– 3561
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	– 3381

शुल्क सम्बन्धी अन्य नियम

1. महाविद्यालय में जमा किया हुआ शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा ।
2. महाविद्यालय में शुल्क एक बार में ही जमा किया जायेगा ।
3. शुल्क रसीद परिचय पत्र प्राप्त करने, परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत करना होगा ।
4. महाविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुचाने पर भरपाई छात्र/छात्रा के काशन मनी से की जाएगी ।
5. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष से तीन वर्ष के अन्दर काशन मनी प्राप्त कर लें अन्यथा की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा ।

महाविद्यालय की शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां–

- **ड्रेस कोड –**महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु परिधान निर्धारित है। छात्रों के लिए सफेद शर्ट व नीली पैन्ट तथा छात्राओं हेतु सफेद सलवार और गुलाबी कमीज व सफेद दुपट्टा निर्धारित है।

- **छात्रवृत्ति –**उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात www.scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । तथा प्रिंट आउट समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति के साथ जमा करना होगा ।

  छात्रवृत्ति केवल उसी छात्र–छात्रा को देय होगी जिसकी उपस्थिति 75% से अधिक होगी ।

- **पुस्तकालय –**विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अवाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त करने की व्यवस्था है । पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुलें रहेंगे । पुस्तकालय पूर्ण रूप से आटोमेटेड है।

- **क्रीड़ा परिषद–**जीवन में क्रीड़ा के महत्व को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है, जो सत्र पर्यन्त क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराती है। वर्ष में एक वृहद क्रीड़ा समारोह का आयोजन भी होता है।

- **रोवर्स एवं रेंजर्स दल–**रोवर्स एवं रेंजर्स दल का उद्देश्य छात्र/छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग, भातृत्व, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना भरकर सेवा कार्य के लिए प्रेरित करना है। एक रोवर्स

एवं रेंजर्स दल में 24 सदस्य होंगे जो वर्ष पर्यन्त विभिन्न क्रिया कलापों में संलग्न रहते हैं।

रोवर्स प्रभारी डॉ ब्रजेश सिहं एवं रेंजर्स प्रभारी डॉ भावना सिहं हैं।

- **राष्ट्रीय सेवा योजना**–राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से स्नातक स्तरीय युवा छात्र/छात्राओं की श्रम साधना, शक्ति एवं सृजनात्मक प्रतिभा को समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के प्रति जाग्रत किये जाने का विधान है।इस योजना के अर्न्तगत श्रमदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, मतदाता जागरुकता, नशा उन्मूलन एवं अन्य समाज सेवा सम्बन्धी कार्यों के सामान्य शिविर के अतिरिक्त सात दिवसीय दिन–रात का विशेष शिविर भी आयोजित होता है।

  राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश कुमार और राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई द्वितीय के कार्यक्रम अधिकारी डॉ अनीश कुमार मिश्र हैं।

- **महाविद्यालय पत्रिका प्रबोधनी**–महाविद्यालय प्रतिवर्ष प्रबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसका मूल उद्देश्य छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता है।प्रधान सम्पादक पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री, कहानी, कविता, लेख, एवं निबन्ध इत्यादि छात्र/छात्राओं से आमंत्रित करते हैं।

- **कैरियर काउंसिलिंग केन्द्र**–इसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम एवं रोजगार संबंधी सलाह एवं दिशा–निर्देश दिये जाते हैं तथा रोजगार की अद्यतन स्थितियों से अवगत कराते हुए सक्रिय रहने के लिए सुझाव व प्रेरणा दी जाती है।

- **विभागीय परिषद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ**–महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की रचनात्मक ऊर्जा एवं प्रतिभा के सार्थक कार्यों में प्रवृत्त करने और उनकी गुणवत्ता को आलोक में लाने हेतु सभी विभागों द्वारा विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है जिसके अर्न्तगत वाद–विवाद, भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं निबन्ध लेखन विषयक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। महाविद्यालय में प्रसार व्याख्यान माला, विभागीय सेमिनार, नाट्य मंचन एवं गायन प्रतियोगिताएँ भी समय–समय पर आयोजित की जाती हैं।

- **परिचय पत्र** –महाविद्यालय में प्रवेश के तुरंत पश्चात महाविद्यालय के मुख्य शास्ता से परिचय पत्र प्राप्त करना होगा जिसे प्रतिदिन महाविद्यालय में साथ लाना आनिवार्य होगा।

- **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** –महाविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं की अध्यक्षता में एक महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम –2013 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर आन्तरिक परिवाद समिति का भी गठन किया गया है ।

- **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ –**महाविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, छात्रों के निरंतर मार्ग दर्शन, समस्याओं के निवारण, अभिविन्यास एवं प्लेसमेंट में सहायता हेतु एक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है ।

महाविद्यालय परिवार के सदस्यों का विवरण

प्रो0 (डॉ) मुरलीधर राम
प्राचार्य

कला संकाय

विभाग का नाम	प्राध्यापक का नाम
हिन्दी विभाग	– सुश्री शिखा तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
समाजशास्त्र विभाग	– श्री गौतम गुप्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर)
	– सुश्री पूनम द्विवेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
	– श्रीमती ऋत्विक रंजन सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
शारीरिक शिक्षा विभाग	– श्री बृजेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	– डॉ अवधेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
भूगोल विभाग	– डॉ अनीश कुमार मिश्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)
अंग्रेजी विभाग	– श्री अमित तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
संस्कृत विभाग	– डॉ अंकिता तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)

विज्ञान संकाय

विभाग का नाम	प्राध्यापक का नाम
भौतिक विज्ञान विभाग	1– श्री अनुराग सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
	2– डॉ राज कुमार सिंह यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)
रसायन विज्ञान विभाग	1– डॉ श्वेता सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
	2– श्री आशीष जायसवाल (असिस्टेंट प्रोफेसर)

गणित विभाग

1– डॉ सत्येन्द्र प्रसाद(एसोसिएट प्रोफेसर)

2– डॉ भावना सिंह(असिस्टेंट प्रोफेसर)

वनस्पति विज्ञान विभाग

1– डॉ यशवीर सिंह (एसोसिएट प्रोफसर)

2– डॉ माया यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)

जन्तु विज्ञान विभाग

1–डॉ आसुतोष कुमार श्रीवास्तव(असिस्टेंट प्रोफेसर)

2– डॉ रुस्तम अली (असिस्टेंट प्रोफेसर)

प्रयोगशाला सहायक

भौतिक विज्ञान – रिक्त
रसायन विज्ञान विभाग – रिक्त
वनस्पति विज्ञान विभाग – श्री शैलेश कपिल
जन्तु विज्ञान विभाग – रिक्त

प्रयोगशाला परिचर

भौतिक विज्ञान – रिक्त
रसायन विज्ञान विभाग – श्री संजय गौड़
वनस्पति विज्ञान विभाग – श्री देवब्रत मिश्र
जन्तु विज्ञान विभाग – रिक्त

पुस्तकालय स्टाफ

पुस्तकालयाध्यक्ष – रिक्त
पुस्तकालय परिचर – रिक्त

कार्यालय स्टाफ

वरिष्ठ कार्यालय सहायक – श्री गुलाबधर तिवारी
कनिष्ठ कार्यालय सहायक – श्री कुँवर रोहितेश
कार्यालय परिचर – रिक्त

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय
भदोही
19 वाँ वार्षिक क्रीड़ा समारोह

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय
भदोही (उ0प्र0)
नमामि गंगे
नमामि गंगे
“ निर्मल गंगा जागरूकता अभियान”
राष्ट्रीय सेवा योजना
ALQUAD CAMERA

मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय
रोवर्स रेन्जर्स समागम
10-11 फरवरी 2020
Vivo V15Pro
AI Triple Camera
2020.02.11 16:52